

प्रेषक,

तुलसी राम,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग:-1

देहरादून दिनांक 10 जनवरी, 2018

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत सहकारिता विभाग के "सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण" की विभिन्न मानक मदों हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के आदेश संख्या:-312/3(150)/XXVII (1)/2017 दिनांक 31 मार्च, 2017, पत्र संख्या-610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 एवं पत्र संख्या-1362/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 के क्रम में आपके कार्यालय के पत्र संख्या-8681/लेखा/बजट प्रावि0/दिनांक 16 दिसम्बर, 2017 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुपूरक के माध्यम से सहकारिता विभाग के अन्तर्गत "सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण" की विभिन्न मानक मदों के अधीन स्वीकृत धनराशि ₹2,35,55,000.00 (दो करोड़ पैंतीस लाख पचपन हजार मात्र) को व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- (1) बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जायेगा। मानक मद-01-वेतन-03-महगाई भत्ता-06-अन्य भत्ते से पुनर्विनियोग पूर्णतः वर्जित है।
- (2) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।
- (3) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में ठीक पूर्व माह की सूचना बी0एम0-5 प्रपत्र पर आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रत्येक माह की 5 तारीख तक विभागाध्यक्ष को तथा विभागाध्यक्ष द्वारा बी0एम0-13 प्रपत्र पर उक्त सूचना 10 तारीख तक वित्त विभाग एवं शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाय तथा बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से शासन तथा महालेखाकार कार्यालय को समय से सूचना भेजा जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग के पत्र संख्या-312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च, 2017, संख्या-610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक-30 जून, 2017 एवं संख्या-1362/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 का व समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत संगत आदेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त

के अतिरिक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्ही मदों में किया जाय जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है।

(5) उक्त वित्तीय स्वीकृति के व्यय के नियमित अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी और यदि किसी मामले में सीमा से अधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल वित्त विभाग एवं शासन के संज्ञान में लाया जायेगा।

(6) वचनबद्ध मदों का व्यय मासिक आधार पर किस्तों में किया जायेगा। आउटसोर्सिंग से नियुक्त कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित ईकाई में सक्षम स्तर के स्वीकृत पदों की अधिकतम सीमान्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा जो भी कम हो, के अन्तर्गत रहेगी।

(7) अवचनबद्ध मदों के सम्बन्ध में प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट कार्ययोजना बना ली जायेगी और तदनुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में बचत सुनिश्चित की जायेगी।

(8) आहरण वितरण अधिकारी अपने स्तर से फॉट कर फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्भावित व्यय की फेंजिंग की सूचना शासन तथा वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

2. उक्त स्वीकृति के अधीन व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 के अनुदान संख्या-18 लेखाशीर्षक 2425-सहकारिता-001-निर्देशन तथा प्रशासन, 03-सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण की निम्नलिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

(धनराशि ₹ हजार में)

मानक मद	मानक मद का नाम	अनुपूरक वित्तीय 2017-18 हेतु प्राविधान	सहित वर्ष 2017-18 हेतु बजट	पूर्व में निर्गत स्वीकृत शासनादेश संख्या	वर्तमान में प्रस्तावित स्वीकृति
01	वेतन	200000		1. शासनादेशसंख्या-318/XIV-1/2017-5(1)17	20000
03	महंगाई भत्ता	12334		दिनांक 10 अप्रैल, 2017 ₹ 10,16,61,000/ 2. शासनादेश संख्या-861/XIV-1/2017-5	1821
06	अन्य भत्ते	14000		(1)17 दिनांक 17 जुलाई, 2017 ₹ 10,80,67,000/	1734
कुल योग-₹ दो करोड़ पैंतीस लाख पचपन हजार मात्र					23555

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च, 2017 एवं 610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक-30 जून, 2017 तथा पत्र संख्या-1362/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रदत्त विस्तृत दिशा निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-आई0डी0 मूल में।

भवदीय,

(तुलसी राम)

अपर सचिव।

संख्या:- 1665(1)/XIV-1/2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबराँय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. वित्त-4/नियोजन/भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोडा/देहरादून उत्तराखण्ड।
4. बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. प्रभारी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(अरुण कुमार)

अनु सचिव।

